'हर 10 कि.मी. दूरी पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी सरकार'

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानव संसाधन, दवा-जांच सुविधाओं और मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की।

खींवसर ने कहा कि प्रदेशवासियों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर पर सब-सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में 50 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। अब मानव संसाधन का उपयोग स्थानीय जरूरत के अनुसार करने पर जोर दिया जाएगा। ट्रोमा सेंटर, प्रसव सुविधा वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

चुनाव आयोग के खिलाफ जयपुर में सड़कों पर आंदोलन करने उतरी कांग्रेस

शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रोका

''वोट चोरी'' और मतदाता सूचियों की एस.आई.आर. में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ''वोट चोरी'' और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

शहीद स्मारक पर सभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय की ओर पैदल मार्च किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार प्रदर्शन को देखते हुए शहीद स्मारक से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन भी मौके पर रखे गए। प्रदर्शन के कारण एमआई रोड सहित आसपास के मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया गया।

प्रदर्शन से पहले शहीद स्मारक पर सभा आयोजित की गई। इसमें अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी सहित कांग्रेस के कई नेता और बडी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा के बाद डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस ने मतदाता सूचियों और चुनाव प्रक्रिया से जुडे मुद्दों को लेकर किया था।

- एम.आई. रोड से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर कूच के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की हुई
- डोटासरा, रंधावा व जूली समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

डोटासरा ने लगाए गंभीर आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जनता के बीच जाएगी। डोटासरा ने कहा कि यह प्रदर्शन शुरुआत है और पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखेगी।

डोटासरा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी सजग रहना होगा। उन्होंने निकाय चुनावों में पुलिस-प्रशासन के कथित दुरुपयोग के आरोप दोहराए।

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र के लिए गिरफ्तारी दी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण कांग्रेस आंदोलन कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को समझाना होगा। गहलोत ने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि लंबे समय से मतदान कर रहे लोगों के नामों पर भी सवाल खड़े किए गए तथा कई बड़े नेताओं के घर नोटिस भेजे गए। उन्होंने कहा कि 'वोट चोरी' के खिलाफ आंदोलन लोकतंत्र बचाने की लडाई है।

प्रदर्शन से पहले आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता

शहीद स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट की सूचना भी सामने आई। पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली। इसके बाद सभा और नेताओं के संबोधन का कार्यक्रम आगे बढ़ा।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस की ओर से करीब 100 नेताओं के हिरासत में लिए जाने की बात कही गई। पुलिस ने सभी को वैन से विद्याधर नगर थाने ले जाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से वाटर कैनन के इस्तेमाल की पुष्टि विभिन्न रिपोर्टों में हुई है। कांग्रेस ने इससे पहले 28 सितंबर को जयपुर में प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि मतदाता सूचियों के एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर वह निर्वाचन आयोग के समक्ष विरोध दर्ज कराएगी।

तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि माता-पिता में तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट पर उसके पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि बच्चे की कस्टडी मां के पास है और पिता ने बच्चे से सभी रिश्ते खत्म कर लिए है तो बच्चे के पासपोर्ट पर केवल मां का नाम लिखना ही पर्याप्त है। इसके साथ ही अदालत ने पासपोर्ट ऑफिस के 13 मई 2024 का वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें बच्चे के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए पिता के नाम का एक शपथ पत्र देने के लिए कहा था। अदालत ने पासपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि एक महीने में पिता का नाम लिखे बिना केवल मां के नाम के साथ बच्चे का पासपोर्ट का नवीनीकरण कर जारी करें। जस्टिस मनीष शर्मा ने यह निर्देश बच्चे की अपने मां के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि याचिकाकर्ता 14 साल का नाबालिग बच्चा है। उसके माता-पिता की शादी जून 2010 में हुई थी। आपसी सहमति से उनके बीच तलाक हो गया और अक्टूबर 2017 में तलाक की डिक्री में उसकी कस्टडी मां को दी गई। इस दौरान साल 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट सिंगल पेरेंट के तौर पर बनवाया, जो 7 मई 2024 तक वैध था। उसमें केवल याचिकाकर्ता की मां का नाम लिखा था। याचिकाकर्ता की मां ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो पासपोर्ट ऑफिस ने 13 मई 2024 के आदेश से उसे पिता के नाम का शपथ पत्र देने के लिए कहा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट पिता का नाम दर्ज किए बिना जारी हो चुका है तो नवीनीकरण के समय पिता के नाम को जरूरी करना सही नहीं है।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 206/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री आदेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा निवासी वार्ड न. 11, शर्मा मोहल्ला, पापरी जिला जयपुर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत चिरौजी बाई गौशाला ग्रम विराटनगर तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 15.09.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 20.11.26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

आम सूचना महोदय, मै निम्न हस्ताक्षरकर्ता अभिभाषक अपनी पक्षकार श्रीमती अनीता त्रिपाठी पत्नी श्री अरुण त्रिपाठी, निवासी- 43 विला, चरण-1, शुभ विला, नारायण विहार, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान, 302006, की ओर से प्राप्त हिदायतों और निर्देशों के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरे उपरोक्त पक्षकार की पुश्तैनी संपति जो की मकान न. 3018/19, राम द्वारे की गली, चौथे चौराहे के बाद, छीपों का मोहल्ला, बगरू वालों का रास्ता, पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर में स्थित है। यह कि उपरोक्त सम्पति मेरे उपरोक्त वर्णित पक्षकार के पिताजी स्व. श्री अवधेश कुमार मिश्रा कि सम्पति है जो कि अब पुश्तैनी संपति है और उपरोक्त सम्पति मे मेरे उपरोक्त वर्णित पक्षकार का भी हक, अधिकार व हिस्सा है, एवं उपरोक्त सम्पति में मेरे पक्षकार का बराबर बराबर का हक, अधिकार व हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, फर्म उपरोक्त सम्पति के बाबत खरीद फरोख्त बिना मेरे पक्षकार की लिखित आज्ञा, इजाजत व सहमति के करती है, तो वह गलत, अवैध, शून्य एवं गैर कानूनी होगा, जिसके लिए खरीददार स्वयं जिम्मेदार व उत्तरदायी होगा, क्योंकि उपरोक्त सम्पति मेरे पक्षकार की पुश्तैनी सम्पति है, सो सूचित रहे।

दिनांक : 20.09.2026

मनन माथुर (अभिभाषक)
मो. 7737551078

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2026/D-728 **आम सूचना**

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 322298 दिनांक 31/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी /लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स. सं./निजी खातेदारी /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	Kaluram S/o Mahadev Ram एवं Jagdish Prasad Choudhary S/o Mahadev Nitharwal	श्री महादेव पुत्र श्री भोलू	11/0B /736	300.00 Sq. Meter	JDA	Ring Road Project (Zone-11)	Name Transfer	लीजडीड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र वारिसान शपथ, हक त्याग पत्र इत्यादि के आधार पर
Sector / Block- SIZE 300 Sqm (All Blocks)								

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी 87-बी, कृषि नगर, एम पी एस स्कूल के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302033 के पति श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल के नाम से अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 23, रियासत इको पार्क प्रथम विस्तार, ग्राम बास्की जोंमियान व भाटेड, तहसील माधोराजपुरा एवं सांगानेर, जिला जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 117.49 वर्गमीटर है स्थित है जिसे श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) मे बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसका ऋण संख्या 703893028 है, उक्त श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल का स्वर्गवास 08.05.2026 को हो चुका है तथा उनकी माताजी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मोहन लाल अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2025 को हो चुका है। श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान मे श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री अविनाश अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्री धीरज अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल है इसलिए उनकी उक्त अचल सम्पत्ति के श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री अविनाश अग्रवाल एवं श्री धीरज अग्रवाल पुत्रान स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल एकमात्र मालिक स्वामी एवं अधिकारी हुए श्री अविनाश अग्रवाल एवं श्री धीरज अग्रवाल पुत्रान स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उक्त अचल सम्पत्ति मे स्वयं के 1/3-1/3 अविभाजित हिस्से का स्वयं की माताजी श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल के हक मे हकत्याग पत्र निष्पादित कर त्याग कर दिया है उक्त हकत्याग पत्र कार्यालय उप पंजीयक जयपुर दशम के यहां दिनांक 10.06.2026 को क्रम संख्या 202603190107813 पर पंजीबद्ध किया गया है, इस प्रकार उक्त अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण की श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल की एकमात्र मालिक स्वामी एवं अधिकारी हुई इसलिए मेरी मुवक्किल स्वयं के पति श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल के स्थान पर उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे मे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) चल रहे ऋण जिसका ऋण संख्या 703893028 है को स्वयं के हित मे हस्तांतरित करवाकर समस्त प्रकार की मौखिक एवं लिखित दस्तावेजी कार्यवाही जोकि वर्तमान मे तथा भविष्य मे आवश्यक हो स्वयं करना चाहती है, इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, अवधि समाप्ति के पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।

(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
6/48, मालवीय नगर, जयपुर, मोबाईल 9829218044

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनियरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यो के लिए कमानुसार आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या/कार्य का नामः इंजी.-जय-2026-27-86** जयपुर मण्डलः- वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (पूर्व) सेक्शन के अंतर्गत रीकंडीशनिंग का कार्य। **अनुमानित लागत :** 8002392.25 **बिड प्रतिभूति राशि :** 160100.00 **निविदा संख्या/कार्य का नामः इंजी.-जय-2026-27-115** सहायक मण्डल इंजीनियर/लाइन उपमण्डल :- सहायक मण्डल इंजीनियर/ लाइन के अधिकार क्षेत्र में जयपुर- सवाईमाधोपुर सेक्शन में RUB पर विभिन्न सुधार कार्य। **अनुमानित लागत :** 98407839.96 **बिड प्रतिभूति राशि :** 1968200.00 **निविदा संख्या/कार्य का नामः इंजी.-जय-2026-27-116** सहायक मण्डल इंजीनियर/फुलेरा उपमण्डल :- सहायक मण्डल इंजीनियर/ फुलेरा के अधिकार क्षेत्र में RNW-FL और FL-MD, DFCCIL साइड पर RUB में विभिन्न सुधार कार्य। **अनुमानित लागत :** 281138091.69 **बिड प्रतिभूति राशि :** 5622800.00 **1** उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड-मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2** निविदा संख्या इंजी.-जय-2026-27-86, 115 एवं 116 की बन्द होने की तिथि 16.10.2026 समय 15.00 बजे एवं खुलने की तिथि 16.10.2026 समय 16.00 बजे। ***1392-DI/26***

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 28/2026 उत्तरा.

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम विजेन्द्र जैन पुत्र शंकरलाल जैन जाति महाजन

विवाद स्थान 37/197 रजत पथ मानसरोवर जयपुर मृतक प्रियंका जैन के नाम FD No. 300982746652 में जमा राशि मय स्टाम्प की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 29.10.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम प्रियंका जैन पत्नी विजेन्द्र जैन जाति महाजन निवासी R/o 37/197 रजत पथ मानसरोवर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 10 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 28 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-शरिस्तेदार

मोहर अदालत

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-10 जयपुर महानगर प्रथम

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम PRAKASH CHNAD SAINI से बदलकर PRAKASH CHANDRA SAINI पुत्र सत्य नारायण सैनी निवासी 161, मेहन्दी का बास आमेर, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे PRAKASH CHANDRA SAINI के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैं, फ़तेह मो.- पुत्र अलाद्दीन, निवासीः 1868, मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान-302017, यह सूचित करता/करती हूँ कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नए नाम फ़तेह मोहम्मद (Fateh Mohammad) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

खोया पाया

मेरे मकान संख्या 113/106 व 107 की मूल रजिस्ट्री पेपर्स व अन्य कागजात कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें- छुट्टनलाल बैरवा 9460531313

आवास संख्या 12/150 मानसरोवर जयपुर का कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। उमेश चन्द मो.9460708794

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती किरण देवी** का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 27.09.2026 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 29.09.2026 (मंगलवार) को सायं 4 से 5 बजे तक शास्त्रीनगर, पानी की टंकी पार्क में रखी गई है।

शोकाकुल परिवारः सत्यनारायण सैनी (पति) सतीश सैनी (देवर) सौरभ सैनी, मनीष सैनी, जितेश, तनिष (पुत्र) पूजा, रीना (पुत्री) समस्त खंडेलिया परिवार, 9352651564, 7690826831

खोया-पाया मै साबिर हुसैन कुरैशी कच्ची बस्ती जयपुर का रहने वाला हूं मेरा आवासीय स्कीम हजरत जलाल शाह बाबा नगर दरगाह के पीछे चेत्या के बालाजी के पास चाकसू में नगर पालिका से अनुमोदित आवासीय प्लाट स.41कुल एरिया 100 वर्गगज है जिसका मूल पट्टा सहित समस्त कागजात कहीं खो गये है। जिसका स्थानीय थाने में मामला दर्ज है किसी को उक्त प्लाट के कागजात मिले तो संपर्क करें-8690452570

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रामदयाल, मोहनलाल, रामजीलाल पुत्रान् मोतीलाल, श्रीमति सावित्री देवी पत्नि श्री मोतीलाल के द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 190 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नं0 191 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं0 426/1659 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं0 427/1860 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के संबंध में दिनांक 06.12.2007 को श्री रमाकान्त शर्मा पुत्र श्री भूरामल शर्मा निवासी जयरामपुरा को मुख्त्यार आम नियुक्त कर उप रजिस्ट्रार तृतीय, जयपुर के यहां रजिस्टर्ड करवाया था। रामजीलाल पुत्र मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है। अब मेरे अभिभाषगण रामदयाल, मोहनलाल, पुत्रान् श्री मोतीलाल, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोतीलाल निवासी जयरामपुरा ने दिनांक 16.09.2026 को उक्त मुख्त्यारनामा आम जो रमाकान्त शर्मा के हक में किया था उसे निरस्त कर दिया गया है। तथा निरस्तीकरण को सब रजिस्ट्रार तृतीय के रजिस्टर करा दिया है। इसलिए अब रमाकान्त शर्मा मेरे अभिभाषगण का मुख्त्यारआम नहीं है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में आम व खास कोई श्री रमाकान्त शर्मा से किसी भी प्रकार का संव्यवहार या खरीद फरोख्त आदि नहीं करे न रमाकान्त शर्मा कोई विक्रय, हस्तान्तरण आदि करे न ही अन्य कोई व्यक्ति करें, सूचित रहे। श्री रमाकान्त शर्मा को भी इस संबंध में जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित कर दिया गया है।

जयपुर
दिनांक : 28.09.2026

आरिफ मोहम्मद, एडवोकेट
मो.नं. 7742611602

सार्वजनिक सूचना

मेरी अभिभाष्या रेशमा ठाकुरवानी की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जब मेरी अभिभाष्या ने प्लाट नम्बर 131 सिंधी कॉलोनी बनीपार्क जयपुर का विक्रय किया उस समय मेरी अभिभाष्या की देवरानी अनीशा ठाकुरवानी ने मेरी अभिभाष्या को ब्लेकमेलिंग करके उससे जबरदस्ती 75 लाख रूपये लिये जिसकी वह हकदार नही थी उसकी बहन अंजू लालवानी ने भी उस समय उसका साथ दिया। इन सबके बावजूद अनीशा ठाकुरवानी समाज में मेरी अभिभाष्या की बदनामी कर रही है। मेरी अभिभाष्या ने अनीशा ठाकुरवानी से समस्त संबंध तोड लिये है और मेरी अभिभाष्या का उससे अब कोई संबंध नही रहा है। यदि वह मेरी अभिभाष्या और उसके परिवार के खिलाफ कोई भी भ्रमात्मक प्रचार करेगी तो वह झूठ और अमान्य होगा यदि ऐसा होगा तो मेरी अभिभाष्या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी।

NARESH KUMAR CHANDNANI {Advocate}
Rajasthan High Court, Jaipur
Office: Plot No- 29-A, Sindhi Colony Bani Park, Jaipur Mob-98291-61548

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

रिटायर्ड एडीजी से 2.12 करोड़ रु. की डिजिटल अरेस्ट ठगी का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने मात्र 5-6 हजार रुपए के कमीशन में बेच दिया था बैंक खाता

आरोपी साहिल कुमार

- गिरफ्तार बदमाश ने अपने आधार नंबर में भी ठग का मोबाइल नंबर अपडेट कराया था

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, राजस्थान की टीम ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) से 2.12 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चौमूं निवासी साहिल कुमार सुरेला को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5-6 हजार रुपए के कमीशन के बदले अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। पुलिस अब तक मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राईम विजय कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर निवासी सेवानिवृत्त एडीजी ने रिपोर्ट में बताया कि 9 से 18 अगस्त 2026 के बीच ठगों ने मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को पुलिस और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी वारंट जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने का डर दिखाया।

ठगों ने उन्हें लगातार वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और लाइव लोकेशन चालू रखने के साथ किसी से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी। फर्जी सरकारी पत्र और गिरफ्तारी वारंट भेजकर बैंक खातों की जांच के नाम पर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। डर के चलते पीडित ने 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के खाते में 2.02 करोड़ रुपए और 18 अगस्त को यस बैंक के खाते में 10.10 लाख रुपए के जरिए जमा करा दिए। इस तरह कुल 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की ठगी हुई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट, सीडीआर और केवाईसी दस्तावेजों की पड़ताल की। इसमें ठगी की रकम का एक हिस्सा साहिल कुमार सुरेला के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में पहुंचना सामने आया।

पूछताछ में साहिल ने बताया कि उसकी मुलाकात रवि कुमार घोसल्या से हुई थी। रवि ने अपना बैंक खाता बंद होने की बात कहकर साहिल के नाम से खाता खुलवाने के लिए कहा। गत 11 जून 2026 को वह साहिल को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चौमूं-काचोलिया रोड शाखा ले गया और उसके नाम से खाता खुलवाया।

उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राईम शान्तनु कुमार सिंह के अनुसार रवि ने खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कराई तथा एटीएम कार्ड और बैंकिंग किट अपने पास रख ली। इतना ही नहीं, साहिल के आधार कार्ड में भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बैंक खाता उपलब्ध कराने के बदले साहिल को शुरुआत में कुछ रुपए और बाद में 5 से 6 हजार रुपए कमीशन दिया गया। इसके अलावा उसके निजी खर्च के लिए अलग-अलग दुकानों और पेट्रोल पंपों के क्यूआर कोड पर 3 से 4 हजार रुपए भी डलवाए गए। पुलिस अब मामले में रवि कुमार घोसल्या की भूमिका और ठगी की रकम की आगे की मनी ट्रेल की जांच कर रही है।

गुमनाम रहकर बाल यौन शोषण सामग्री फैलाने वालों की खैर नहीं : एडीजी वी.के.सिंह

एडीजी वी. के. सिंह

- राजस्थान पुलिस ने 15 हजार से अधिक नंबर ब्लॉक किए, टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड के ग्रुप भी की रडार पर
- एनसीएमईसी टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर कई जिलों में एफआईआर दर्ज

जयपुर (कासं)। बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (सीएसईएएम) के प्रसार के खिलाफ राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी सामग्री देखना, डाउनलोड करना, रखना या साझा करने वालों पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चल रही कार्रवाई के तहत प्रदेश में अब तक करीब 7 हजार 800 यूआरएल/सोशल मीडिया प्रोफाइल, 15 हजार 326 मोबाइल नंबर और 100 डिवाइस चिन्हित कर ब्लॉक करवाए गए हैं।

एनसीएमईसी की टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर चूरू, नागौर, अलवर, खैरथल-तिजारा, सीकर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और एनसीएमईसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल ट्रेल की पहचान की जा रही है। इसके बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जानकारी देकर आपत्तिजनक लिंक, प्रोफाइल और मोबाइल नंबर ब्लॉक करवाए जा रहे हैं।

टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड के ग्रुप बने माध्यम

पुलिस के अनुसार सीएसईएएम के प्रसार के लिए टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर गुप्त या पेड ग्रुप और चैनल बनाए जाते हैं। इनमें लोग फर्जी अथवा गुमनाम पहचान के साथ जुड़कर आपत्तिजनक सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं। कई मामलों में सामग्री निजी संदेशों के जरिए भेजी जाती है, जबकि गूगल ड्राइव या अन्य क्लाउड स्टोरेज पर सामग्री अपलोड कर केवल उसका लिंक साझा किया जाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्रवाई से बचने के लिए सोशल मीडिया पर कोडेड शब्दों और हैशटैग का इस्तेमाल भी करते हैं। कई बार इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सामान्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क शुरू करने के बाद बातचीत को अपेक्षाकृत कम निगरानी वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान
नीतू बनाम इन्द्रकॅवर वगैरह
दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी एक्ट बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

बनाम जसवन्त सिंह पुत्र किशन सिंह, नवरतन सिंह पुत्र मोहन सिंह, मोहन सिंह पुत्र भूरसिंह, सरदार सिंह पुत्र भूर सिंह, ऊषा कॅवर, निम्मा कॅवर, पूनम कॅवर, राजबाला, सीमा कॅवर पुत्रीयान सरदार सिंह जाति राजपूत निवासीयान प्रागपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान व कैलाश पुत्र रामकुंवार जाति अहीर निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान व मूलाराम पुत्र बोदूराम जाति चमार निवासी 157, इन्दोखा तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान वादी नें आपके विरुद्ध दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 12/10/2026 को दिन में 10 बजे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।

आपको सूचित किया जाता है यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

यह प्रार्थना पत्र तारीख 23/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-3866 दिनांक-16/09/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास/फ्लैट संख्या 81/42 अल्प आय वर्ग का आवंटन श्री आदित्य शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा एवं श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्र श्री आदित्य शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3877 दिनांक 30.03.2002 को जारी किया गया था। श्री आदित्य शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा एवं श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्र श्री आदित्य शर्मा के पक्ष मे पंजीयन निष्पादन दिनांक 26.02.2005 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। श्री आदित्य शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा एवं श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्र श्री आदित्य शर्मा द्वारा उक्त आवास को श्री अनिल कुमार गोयल एवं श्री सुशील कुमार गोयल पुत्रान श्री केदार लाल गोयल को विक्रय कर इनके पक्ष मे विक्रय पत्र दिनांक 15.03.2005 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। श्री सुशील कुमार गोयल पुत्र श्री केदार लाल गोयल द्वारा उक्त आवास का 1/2 हिस्से को श्री अनिल कुमार गोयल पुत्र श्री केदार लाल गोयल को उपहार कर इनके पक्ष मे उपहार पत्र दिनांक 19.08.2026 को उप पंजीयक (द्वादश) जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री अनिल कुमार गोयल पुत्र श्री केदार लाल गोयल द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त सम्पूर्ण आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अनिल कुमार गोयल पुत्र श्री केदार लाल गोयल का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

(रजि. MSCS/CR/1162/2014) दि.13.12.2014)
दी सत्यम् हाउसिंग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.
पंजीकृत कार्यालय:-एमजीबी ग्रामीण बैंक के पास, चूना फाटक, तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़-335512 (राज.)
शाखा कार्यालय:- शॉप नं. 04-05 न्याय वाटिका-बी, ग्राम बिलवा, पोस्ट बिलवा, तह. सांगानेर जयपुर-302022 (राज)

क्रमांक: एसएचएमएससीएल/जन./2026/एसपी-1 दिनांक 24.09.2026

वार्षिक आम सभा का नोटिस

दी सत्यम् हाउसिंग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 09.10.2026 को प्रातः 11:30 बजे** सोसायटी के **शाखा कार्यालयः-शॉप नं.04-05 न्याय वाटिका-बी, ग्राम बिलवा, पोस्ट बिलवा, तह. सांगानेर जयपुर-302022 (राज)** पर सोसायटी के सदस्यों की **वार्षिक आमसभा** आयोजित की जाऐगी जिसके विचारणीय विषय बिन्दु निम्न लिखितानुसार रहेंगें **1.** सोसायटी की गत वार्षिक आमसभा की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार। **2.** सोसायटी की कार्यकारिणी में लिये गये निर्णयों की पुष्टि पर विचार। **3.** वर्ष **2025-26** के वार्षिक बजट के अनुमोदन पर विचार। **4.** सोसायटी के **वर्ष 2019-20** से **वर्ष 2025-26** की ऑडिट रिपोर्ट एवं अंतिम लेखों की पुष्टि पर विचार। **5.** सोसायटी के पंजीकृत पते में परिवर्तन करने बाबत् सोसायटी के उप नियमों में संशोधन करने पर विचार। **6.** अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

नोट- कोरम के अभाव में स्थगित आम सभा उसी दिन दोपहर 12-30 बजे उसी स्थान पर पुनः आयोजित की जायेगी जिसमें विचारणीय विषय बिन्दु यथावत रहेंगें। **आज्ञा से, अध्यक्ष**

(रजि. नं. MSCS/CR/1159/2014 दि. 12.12.2014)
अभिनवोदय हाउसिंग मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.
पंजीकृत कार्यालय:शॉप नं. 38-39 प्रथम तल कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, धनेरा, जिला बनासकांठा (गुजरात) 385310
शाखा कार्यालय: 42-एवी, भैरवनगर, कल्याणपुरा सांगानेर जयपुर-302029

क्रमांक: एएचएमएससीएल/जन./2026/एसपी-1 दिनांक 25.09.2026

वार्षिक आम सभा का नोटिस

अभिनवोदय हाउसिंग मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव सोसायटी लि, जयपुर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 10.10.2026 को प्रातः 11:30 बजे** सोसायटी के **शाखा कार्यालयः 42-एवी, भैरवनगर, कल्याणपुरा सांगानेर जयपुर-302029** पर सोसायटी के सदस्यों की **वार्षिक आमसभा** आयोजित की जाऐगी जिसके विचारणीय विषय बिन्दु निम्न लिखितानुसार रहेंगें

1. सोसायटी की गत वार्षिक आमसभा की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार। **2.** सोसायटी की कार्यकारिणी में लिये गये निर्णयों की पुष्टि पर विचार। **3.** वर्ष **2025-26** के वार्षिक बजट के अनुमोदन पर विचार। **4.** सोसायटी के **वर्ष 2024-25** एवं **वर्ष 2025-26** की ऑडिट रिपोर्ट एवं अंतिम लेखों की पुष्टि पर विचार। **5.** सोसायटी के पंजीकृत पते में परिवर्तन करने बाबत् सोसायटी के उप नियमों में संशोधन करने पर विचार। **6.** अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

नोट- कोरम के अभाव में स्थगित आम सभा उसी दिन दोपहर 12-30 बजे उसी स्थान पर पुनः आयोजित की जायेगी जिसमें विचारणीय विषय बिन्दु यथावत रहेंगें। **आज्ञा से, अध्यक्ष**

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान
ममता यादव बनाम ओमप्रकाश वगैरह
दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी एक्ट बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

बनाम सुमन, बाला, भगवती, मन्जू पुत्रीयान स्व. हंसराज पुत्र हरलाल, प्रभाती देवी पत्नि प्रसादी राम जाति जाट निवासीयान ढ्राणी छानी तन बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान वादी नें आपके विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी एक्ट बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 09/10/2026 को दिन में 10 बजे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।

आपको सूचित किया जाता है यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

यह प्रार्थना पत्र तारीख 23/9/2028 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर महानगर द्वितीय
विद्या श्रीवास्तव विरूद्ध हर खास व अन्य
वाद बाबत.....
वाद संख्या 927 सन् 2026

बनाम हर खास व अन्य जाति.........
स्थान..........
....ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 02 माह 11 सन् 2026 को दिन में 10.30 ए.एम. बजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचनं दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उतर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मै उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 22 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

रीडर
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर महानगर द्वितीय

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज०)

क्रमांक : नियमन/2026/122 दिनांक : 28.09.2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

आवेदक श्री हरीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री नेमी चंद निवासी डी-241 जवाहर नगर, भरतपुर, राजस्थान आवेदिका द्वारा योजना सूर्या सिटी भरतपुर के आवासीय भूखण्ड संख्या 110 क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज के नाम हस्तांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 30.09.2009 को श्री विशम्भरदयाल पुत्र श्री चन्द्रभान के पक्ष में जारी किया गया है, जो कि उपपंजीयक कार्यालय में दिनांक 18.12.2009 को पुस्तक सं० 01 जिल्द संख्या 679 में पृष्ठ सं० 36 क्रम संख्या 2009008556 पर पंजीबद्ध है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड श्री मनोज कुमार गर्ग पुत्र श्री विशम्भर दयाल गर्ग वहैसियत मुख्त्यारआम श्री विशम्भर दयाल पुत्र श्री चन्द्रभान से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 21.06.2010 जोकि उप पंजीयक कार्यालय भरतपुर में पुस्तक सं० 01 जिल्द सं० 688 में पृष्ठ सं० 113 क्रम 2010003884 पर पंजीबद्ध है, से क्रय किया है। अतः आवेदक श्री हरीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री नेमी चंद के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में किसी व्यक्ति या संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। गुजरने म्याद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त (पूर्वी जोन) भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), चौमूं जयपुर
राधाबाग कॉलोनी सीकर रोड चौमूँ
PH. NO. 01423-220047 FAX NO. 01423-223873, Email:- KUMS.CHOMUFV@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 857-65 दिनांकः 28.09.2026

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मण्डी समिति में कार्यालय उपयोग हेतु संलग्न शिड्यूल ऑफ रेट्स में वर्णित कम्प्युटर ऑल इन वन, लैपटॉप, प्रिन्टर मय स्केनर ब्लैक एण्ड व्हाईट, यूपीएस आदि सामग्री सप्लाई हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों से दिनांक 07.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शिड्यूल ऑफ रेटस में दरें अंकित करते हुए बन्द लिफाफे मे निविदायें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदाताओं (यदि कोई उपस्थित हों या ना हो) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार मण्डी समिति के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से संबंधित समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित हो कर या विभागीय वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), चौमूं जयपुर

The Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
DC-1, Lalkothi Shopping Center, Opposite Nehru Balodyan, Tonk Road, Jaipur-302015.
Ph.: 2744814, 2744476, Website: https://rscb.bank.in

Tender Notice No. RSCB/Purchase/26-27/11

Tenders are invited on eProcurement Portal, Government of Rajasthan **(https://eproc.rajasthan.gov.in)** from eligible bidders for following:-

1.RFP for Rented Server for deployment of NG CPS Application as per IFTAS directives and Support.

Tentative Schedule for tenders:-

S.No.	Events Particulars	Date & Time
1.	Start date and time of download of e-bid	28.09.2026, 10.00 AM
2.	Last date and time of download of e-bid	05.10.2026, 10.00 AM
3.	Last Date of submission of e-bid with bid security	05.10.2026, 10.30 AM
4.	Opening of Technical bid	05.10.2026, 11.00 AM
5.	Websites where tender is available	**https://eproc.rajasthan.gov.in, https://rscb.bank.in, https://sppp.rajasthan.gov.in**

DGM (A&F) & Convener, Purchase Committee (Up to Rs. 50 Lakh)